कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 18

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	16.69	191.10	207.79	22.90	219.88	242.78	18.90	346.53	365.43	18.00	296.43	314.43
	पूंजी	***1.24***	*17.17*	*18.41*	*1.10*	*28.00*	*29.10*	*1.10*	*45.00*	*46.10*	*2.00*	*28.00*	*30.00*
	जोड़	**17.93**	**208.27**	**226.20**	**24.00**	**247.88**	**271.88**	**20.00**	**391.53**	**411.53**	**20.00**	**324.43**	**344.43**
ब.अ. 2016-2017													
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	159.00	159.00
2. कारपोरेट विधि विनियमन													
2.01 संयुक्त स्टॉक कंपनी पंजीयक	3475	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	38.20	38.20
2.02 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न निकायों के संदर्भ में क्षेत्रीय निदेशक, शासकीय कारपोरेट विधि विनियमन परिमापनक और अन्य व्यय	3475	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	99.23	99.23
जोड़- कारपोरेट विधि विनियमन		*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*137.43*	*137.43*
3. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान	3475	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
4. कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रणाली													
4.01 कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम)	3451	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00
4.02 डाटा माइनिंग प्रणाली (डीएमएस)	5475	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
जोड़- कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रणाली		*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*10.00*	*...*	*10.00*
5. कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रणाली	5475	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	28.00	28.00
सं.अ. 2015-2016													
6. सविचालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	106.81	106.81	...	129.21	129.21	...	253.97	253.97	...	...	...
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं													
7. संयुक्त स्टाक कंपनी पंजीयक	3475	...	34.88	34.88	...	35.67	35.67	...	37.64	37.64	...	...	...
8. कंपनी अधिनियम तथा क्षेत्रीय निदेशक, महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपीलीय प्राधिकरण, विशेष न्यायालय तथा	3475	...	30.90	30.90	...	31.74	31.74	...	35.88	35.88	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015 आयोजना	वास्तविक 2014-2015 आयोजना-भिन्न	वास्तविक 2014-2015 जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	बजट 2015-2016 आयोजना-भिन्न	बजट 2015-2016 जोड़	संशोधित 2015-2016 आयोजना	संशोधित 2015-2016 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2015-2016 जोड़	बजट 2016-2017 आयोजना	बजट 2016-2017 आयोजना-भिन्न	बजट 2016-2017 जोड़
आईईपीएफ प्राधिकरण													
9. अन्य व्यय	3475	...	18.54	18.54	...	23.26	23.26	...	19.04	19.04	...	...	...
	5475	...	17.17	17.17	...	28.00	28.00	...	45.00	45.00	...	...	...
	जोड़	*...*	*35.71*	*35.71*	*...*	*51.26*	*51.26*	*...*	*64.04*	*64.04*	*...*	*...*	*...*
10. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)	3475	16.69	...	16.69	18.90	...	18.90	14.90	...	14.90	...	...	...
	5475	1.24	...	1.24	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	...	...	...
	जोड़	*17.93*	*...*	*17.93*	*19.00*	*...*	*19.00*	*15.00*	*...*	*15.00*	*...*	*...*	*...*
11. कार्पोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम)	3451	...	...	...	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	...	...	...
	5475	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*5.00*	*...*	*5.00*	*5.00*	*...*	*5.00*	*...*	*...*	*...*
जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		**17.93**	**101.49**	**119.42**	**24.00**	**118.67**	**142.67**	**20.00**	**137.56**	**157.56**	**...**	**...**	**...**
12. वास्तविक वसूलियां	3451	...	-0.03	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		*17.93*	*208.27*	*226.20*	*24.00*	*247.88*	*271.88*	*20.00*	*391.53*	*411.53*	*20.00*	*324.43*	*344.43*
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	8.00	...	8.00
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	17.93	...	17.93	19.00	...	19.00	15.00	...	15.00	12.00	...	12.00
जोड़		**17.93**	**...**	**17.93**	**24.00**	**...**	**24.00**	**20.00**	**...**	**20.00**	**20.00**	**...**	**20.00**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** मंत्रालय के सचिवालय व्यय, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ), ई-गवर्नेंस परियोजना (एमसीए21), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) तथा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पुरस्कारों से संबंधित नई गतिविधियों, आदि के लिए सामान्य अनुदान सहायता, वेतन अनुदान सहायता और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान का प्रावधान करता है।

2.01. **कारपोरेट विधि सेवाएं:** कंपनी पंजीयक-सह-शासकीय समापक और कंपनी पंजीयक: विभिन्न राज्यों में स्थित कंपनी पंजीयक-सह-शासकीय समापक और कंपनी पंजीयक के कार्यालयों के लिए व्यय का प्रावधान करता है। इनका प्रमुख कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी अधिनियम, 1956 की शेष धाराओं के प्रावधानों के अंतर्गत पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों की रजिस्ट्री, वार्षिक विवरणी, तुलन पत्रों और अन्य दस्तावेजों की जांच करना है और इस जांच के परिणामस्वरूप पायी जाने वाली अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करना है। कंपनी पंजीयक-सह-शासकीय समापक कार्यालय उच्च न्यायालयों से भी संबद्ध हैं और अनिवार्य परिसमापन के अधीन कंपनियों के प्रभारी हैं।

2.02. **क्षेत्रीय निदेशक, शासकीय समापक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ मेंअन्य व्यय:** क्षेत्रीय निदेशक: उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अधीन कंपनी पंजीयक-सह-शासकीय समापकों, कंपनी पंजीयकों और शासकीय समापकों के कार्यालयों की निगरानी, सलाह और मार्गनिर्देश देना। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अधिकरण, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपील अधिकरण, विशेष न्यायालयों और निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) अधिकरण भी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन स्थापित किए जा रहे हैं।

शासकीय समापक: कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार शासकीय समापकों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है और वे उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं। ये अनिवार्य परिसमापन के अधीन कंपनियों के प्रभारी होते हैं।

अन्य व्यय: कंपनी विधि बोर्ड, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के कार्यालयों पर व्यय के लिए प्रावधान करता है

3. **भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) (योजना स्कीम):** समाभिरूपित ज्ञान प्रबंधन, भागीदारी और वन-स्टॉप-शॉप-मोड समस्या समाधान के माध्यम से कारपोरेट विकास, सुधारों और विनियमन में सहायता हेतु एक समग्र विचारक मंडल, क्षमतानिर्माण एवं सेवा सुपुर्दगी संस्थान के रूप मे कार्य करना।

4.01. **कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रणाली:** कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम)(योजना स्कीम): सीडीएम स्कीम में मंत्रालय के कारपोरेट रजिस्ट्री में दायर विशाल सूचना भंडार को प्रभावी रूप से उपयोग में लेने के लिए मंत्रालय में डाटा माइनिंग और विश्लेषण सुविधा सृजन करने का विचार है। इसके अतिरिक्त, सभी हितधारकों को प्रमाणिक और स्पष्ट आंकड़ें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए इस सुविधा में सूचना को संगठित और सुव्यवस्थित तरीके से मंत्रालय तथा सरकार के भीतर एवं बाहर अन्य नीति एवं निर्णय निर्माण अभिकरणों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

4.02. **डाटा माइनिंग प्रणाली (डीएमएस)(योजना स्कीम):** स्कीम डीएमएस पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान हेतु कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) का एक भाग है।

5. **प्रमुख कार्य भूमि एवं भवन:** मंत्रालय और संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए आधारिक संरचना तैयार करने पर व्यय का प्रावधान करता है।